डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 3)

[29 दिसम्बर, 2006]

डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 2006 है।

1981 के अधिनियम 31 की धारा 9 का संशोधन।

2. डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 की धारा 9 में ''जिन कार्यों को करने के लिए कंपनी अपने उपक्रमों के संबंध में'' शब्दों के स्थान पर ''जिन कार्यों को, जिनमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 502(अ), तारीख 23 जून, 1981 द्वारा उसमें निहित कंपनी के उपक्रमों की आस्तियों का व्ययन करने की, यदि आस्तियों का ऐसा व्ययन सीमेंट निगम द्वारा विधिक या वित्तीय विचारणाओं के कारण आवश्यक समझा गया है, शक्ति भी सम्मिलित है, करने के लिए कंपनी अपने उपक्रमों के संबंध में'' शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 4)

[29 दिसम्बर, 2006]

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

2006 के अधिनियम 4 की धारा 4 का संशोधन।

2. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 4 के परन्तुक में, ''मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री'' शब्दों के स्थान पर ''महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री'' शब्द रखे जाएंगे।